Regarding alleged death of youths by police firing in Sambhal, Uttar Pradesh

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : हम जो कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं के साथ कमिटमेंट होने के बाद भी आप वैल में आए, यह ठीक नहीं है ।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं है, लेकिन दायीं तरफ वाले लोगों का हिसाब-किताब थोड़ा अलग है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण घटना पर बोलने का अवसर दिया है । सम्भल इसलिए जाना जाता था कि वहां पर लोग भाई-चारे के साथ रहते हैं । वहां पर अभी से नहीं, बल्कि सदियों पुराना भाई-चारा है और लोग हजारों सालों से इसी तरह से रहते आए हैं, लेकिन अचानक जो यह घटना हुई है, यह सोची-समझी रणनीति के तहत वैल प्लान्ड हुई है और वहां के भाई-चारे को गोली मारने का काम हुआ है । जो घटना हुई है, वह सोची-समझी साजिश है । देश के कोने-कोने में भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी, उनके समर्थक, शुभचिंतक लगातार खुदाई की बात कर रहे हैं, यह खुदाई हमारे देश का सौहार्द्र, हमारे देश का भाई-चारा, हमारे देश की गंगा-जमुनी तहजीब को खो देगी ।

मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि जो साजिश हुई और मैं इसे सोची-समझी साजिश इसलिए बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जो पहले 13 तारीख को होना था और उन्होंने 13 तारीख के चुनाव को बढ़ाकर 20 तारीख कर दिया । जो घटना मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ? (व्यवधान)

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा यहां नहीं उठाया जा सकता है । यह राज्य का विषय है । ? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, यह यात्रा रुकी क्यों नहीं है? इस यात्रा को दूसरी तरफ ले जाओ । ? (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह स्टेट का विषय है । ? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, सम्भल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ दिनांक 19.11.2024 को सिविल जज सीनियर डिवीज़न, चन्दौसी, सम्भल में एक याचिका डाली गई । कोर्ट ने दूसरे पक्ष को ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए । यह सुनना चाहिए । हम ऐसे ही नहीं कहते हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षेप में बोलें ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि यह सरकार संविधान नहीं मानती है । प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ? (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : बड़े सेक्युलर बनते हैं ।? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : हम बनते तो बहुत कुछ हैं । सम्भल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ दिनांक 19.11.2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन, चंदौसी, सम्भल में एक याचिका डाली गई । कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन दिनांक 19.11.2024 को सर्वे के आदेश दे दिए ।? (व्यवधान) ताज्जुब की बात है कि संभल के जिला अधिकारी सम्भल और पुलिस अधीक्षक सम्भल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए । ? (व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदय, कोर्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं । यह न्यायालय का अपमान कर रहे हैं और आप इनको अलाऊ कर रहे हैं?

श्री अखिलेश यादव : जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा-इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया । ? (व्यवधान)

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, यह कोर्ट का अपमान कर रहे हैं । ? (व्यवधान) महोदय, यह नहीं चलेगा । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें ।

श्री अखिलेश यादव : जिला अधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक सम्भल ने ढाई घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए ताकि लोग नमाज ना पढ़ सकें । उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया ।

29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी । शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा । शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है । कोर्ट के आदेश का हमने पालन करा दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं । कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे । लेकिन जिलाधिकारी सम्भल और पुलिस अधीक्षक सम्भल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह को वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए । शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए । सर्वे के दौरान करीब डेढ़ घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वह इकट्ठा होना शुरू हो गए । लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली-गलौज की और लाठी चार्ज करवा कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया । इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए । जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं । जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है । जिसके एवज में दर्जनों लोग गोलियों से घायल हो गए । 5 मासूम जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे उनकी मृत्यु हो गई ।

सम्भल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं । इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके । ?*

माननीय अध्यक्ष : नो! प्लीज!

श्री उज्ज्वल रमण सिंह जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखें ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अखिलेश जी, आपका विषय रिकॉर्ड पर आ गया है । कृपया आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उज्ज्वल जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनका विषय आ गया है । उन्होंने अपना पूरा विषय रख दिया है ।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय आ गया है ।

? (व्यवधान)